



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1991/अग्रहायण 1, 1913

No. 684]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1991/AGRAHAYANA 1, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय

सारणी

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1991

का. आ. 793 (अ) :--बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजनों के लिए बेचे जाने वाले बीजों की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उप-किस्मों के या उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानीय प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित उप किस्मों घोषित करती है।

क्रम सं.	उप किस्म	किस्म
1	2	3
1.	ए बी टी-4	उड़द
2.	ए बी टी-5	उड़द
3.	हिमप्रिया (आई सी 13374)	व्हीट (कूट)
4.	सी ओ -1 नीला कोलुकट्टई	ब्लू बैफिस घास
5.	पी. के. एम-1	मिर्च
6.	टी सी एच बी-213	कपास
7.	ए पी सी-4200	लोबिया
8.	आर. गी सी-936	ग्वार
9.	गुजरात ग्वार-1 (जी ए यू जी-34)	ग्वार
10.	ए बी टी-3	मूंग

1	2	3
11.	सी ओ-5	सूंग
12.	प्रगति (आर एस-हाई-1)	सूंगफली
13.	आई सी जी एस-86 (आई सी जी बी-86590)	सूंगफली
14.	बी आर आई-3 (बी जी-55)	सूंगफली
15.	सोमनाथ (टी जी एस-1)	सूंगफली
16.	के एस-2	कुलथी
17.	सपना (एल एच-84-8)	मसूर
18.	बी एल मसूर-4	मसूर
19.	बी एल प्याज-3	प्याज
20.	सी एस टी-7-1 (आई ई टी-9341)	धान
21.	हरियाणा बासमती-1 (एच के आर-228 आई ई टी-10367)	धान
22.	बी एल धान-221 (बी आर एस-221-1-3-2-2)	धान
23.	पी एम के-1	धान
24.	पी वाई 4	धान
25.	टी पी एस-1	धान
26.	सी ओ-45	धान
27.	एकनाथ-301 (एम एच-333) (एन बी एच 9)	बाजरा
28.	एम एल बी एच-104 (एम एच 351)	बाजरा
29.	मालवीय राजमश-137 (एच यू आर-137)	राजमश
30.	एल डी एस आर एच एच-1	सुरजमुखी
31.	एल डी एस आर एस एच-3	सुरजमुखी
32.	पी के-564	सोयाबीन
33.	पी डी डब्ल्यू-215	गेहूँ
34.	संगम (सी पी ए एन-3004)	गेहूँ

[सं. 17-2/91-एस डी--4]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd November, 1991

S.O. 793(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below or the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified varieties, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the whole of India for the purposes of the said Act.

TABLE

S.No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	ADT-4	Black gram ✓
2.	ADT-5	Black gram ✓
3.	Himpriya (IC 13374)	Buck Wheat ✓
4.	CO-1 Neela Kolukattai	Blue Buffel grass ✓
5.	PKM-1	Chilli ✓
6.	TCHB-213	Cotton ✓
7.	UPC-4200	Cowpea ✓
8.	RGC-936	Cluster bean ✓
9.	Gujarat Guar-1 (GAUG-34)	Cluster bean ✓
10.	ADT-3	Green gram ✓
11.	CO-5	Green gram ✓
12.	Pragathi (RS-Hy-1)	Groundnut ✓
13.	ICGS-86 (ICGV-86590)	Groundnut ✓
14.	VRI-3 (VG-55)	Groundnut ✓
15.	Somnath (TGS-1)	Groundnut ✓
16.	KS-2	Horse gram ✓
17.	Sapna (LH-84-8)	Lentil ✓
18.	VL Masoor-4	Lentil ✓
19.	VL Piaz-3	Onion ✓
20.	CST-7-1 (IET-9341)	Paddy ✓
21.	Haryana Basmati-1 (HKR-228 IET-10367)	Paddy ✓
22.	VL Dhan-221 (VRS-221-1-3-2-2)	Paddy ✓
23.	PMK-1	Paddy ✓
24.	PY-4	Paddy ✓
25.	TPS-1	Paddy ✓
26.	CO-45	Paddy ✓
27.	Eknath-301 (MH-333/ NBH-9)	Pearlmillet ✓
28.	MLBH-104 (MH-351)	Pearlmillet ✓
29.	Malviya Rajmash-137 (HUR-137)	Rajmash ✓
30.	LDMRSH-1	Sunflower ✓
31.	LDMRSH-3	Sunflower ✓
32.	PK-564	Soybean ✓
33.	PDW-215	Wheat ✓
34.	Sangam (CPAN-3004)	Wheat ✓

[No. 17-2/91-SD-IV]

का. आ. 794(अ):-बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजनों के लिए बेचे जाने वाले नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उप किस्मों के या उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीज की वदालिटी का विनियमन करना समीचीन है, बीज की उक्त उपकिस्म को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित उप किस्म घोषित करती है।

सारणी

क्रम सं.	उप किस्म	किस्म
(1)	(2)	(3)
1.	ए. एच. 3425	संकर सूरजमुखी

[सं. 17/2/91 एस डी /IV]

मालती एस. सिन्हा, संयुक्त सचिव

S.O. 794(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below or the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified varieties, for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the whole of India for the purposes of the said Act.

TABLE

S.No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	AH-3425	Hybrid Sunflower

[No. 17-2/91-SD-IV]

MALTI S. SINHA, Jt. Secy.

793(E)
22.11.91.